217

संख्याः– / ।।–2015–04(03)/2011

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभागा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 15 जनवरी, 2015

विषयः **सी0एस0एस0–एफ0एम0पी0 (UK-10 to UK-11) मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु धनराशि की मांग के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक–2564/मु0अ0वि0/बी–1, (सामान्य) दिनांक 15.07.2014, पत्रांक–3428/मु0अ0वि0/बी–1, (सामान्य) दिनांक 25.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में शासनादेश संख्या–895/।।–2014–03(15)/2012 दिनांक 28.03.2014 तथा शासनादेश संख्या–3380/।।–2012–03(15)/2012 दिनांक 28.11.2013 के द्वारा केन्द्रपोषित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं हेतु अवमुक्त कुल धनराशि ₹3066.79 लाख के सापेक्ष वर्ष 2013–14 में निम्नलिखित योजनाओं में धनराशि ₹133.82 लाख समर्पित की गयी।

2. तद्क्रम में आपके उक्त पत्र में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/धनराशि की मांग के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रपोषित बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत/निर्माणाधीन निम्नलिखित 02 योजनाओं में ₹133.82 लाख (एक करोड़ तैंतीस लाख बयासी हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 में निम्न विवरणानुसार व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 स0	निर्माणाधीन योजना का नाम	लागत	वर्ष 2013–14 में अवमुक्त धनराशि		दिनांक 31.03.2014 तक व्यय		दिनांक 31.3.14 को समर्पण की गई धनराशि		वर्ष 2014–15 में अवमुक्त की जा रही धनराशि (केन्द्रांश + राज्यांश)
			केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	केन्द्रांश	राज्यांश	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद ऊधमसिंहनगर के खटीमा एवं सितारगंज क्षेत्र की रामगंगा नदी से बाढ़ सुरक्षा योजना (UK-10)	1065.00	0.00	71.06	0.00	24.40	0.00	46.66	46.66
2	जनपद देहरादून के अन्तर्गत तीन सं0 योजनाओं की सौंग नदी एवं इसकी सहायक नदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना (UK-11)	869.60	391.05	43.45	303.89	43.45	87.16	0.00	87.16
								योग	133.82

(i) **विगत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उक्त समर्पण के अनुसार कोषागार से धनराशि आहरित न होने की पुष्टि कर ली जाय।**

(ii) धनराशि उन्ही योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एवं उसी सीमा तक व्यय की जायेगी जिनका अनुमोदन एवं जितनी लागत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है।

(iii) योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

(iv) अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

(v) अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

(vi) कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

क्रमशः.....2

(vii) आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

(viii) निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

(ix) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

(x) एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(xi) कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

(xii) धनराशि का आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2015 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xiii) **योजना के क्रियान्वयन के समय भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा निर्गत की गयी नवीन गाईड लाईन्स व गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।**

(xiv) विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत कार्यों का समय–समय पर भौतिक सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(xv) उल्लिखित कार्यों / योजनाओं में पूर्व निर्मित कार्यो की गुणवत्ता मानकों के अनुरूप होने पर एवं आगणन में स्वीकृत डिजाइन / मानक एवं दरों के अन्तर्गत होने पर ही स्वीकृत धनराशि को व्यय किया जायेगा।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–01–बाढ़ नियंत्रण–103–सिविल निर्माण कार्य–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–0101–त्वरित सिंचाई लाभ एवं बाढ़ प्रबन्धन कार्यक्रम (आपदा पैकेज सहित)–24–वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0– 344 / XXVII(2)/2014, दिनांक 12 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
प्रमुख सचिव।

संख्याः–291 (1) / II–2015–04(03) / 2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1 / 105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. कमिश्नर (गंगा) भारत सरकार, जल संसाधन मंत्रालय (गंगा विंग) नई दिल्ली।
4. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
5. वित्त अनु–2, / नियोजन अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
7. जिलाधिकारी, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशालय, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
10. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
11. वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, देहरादून एवं ऊधमसिंहनगर।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
13. मुख्य अभियन्ता गढ़वाल / कुमायूँ सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(चन्दन सिंह रावत)
अनु सचिव।